प्राक्कथन

यह रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट दो भागों में है।

भाग कः राजस्व क्षेत्र-सरकार के राजस्व क्षेत्र विभागों की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा भारत के नियत्रंक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत संचालित की जाती है। यह भाग वित्तिय वर्ष 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

भाग खः सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम-यह सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित है। सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत नि.म.ले.प. के द्वारा संचालित की जाती है तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों के द्वारा संचालित की जाती है। सरकार से यह अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के इस भाग को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 क के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल को सौंपा जाए।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2012-13 के दौरान लेखों की जाँच से लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए, साथ ही वे मामले हैं जो उसके पूर्व के वर्षों में पता चले परन्तु जिन्हें पिछली रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था; 2012-13 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी सम्मिलित किए गए हैं।

इस लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2002) के अनुरूप किया गया है।